"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 559] रायपुर, शनिवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2017—पौष 2, शक 1939

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 3-3/2017/14-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ उद्यानिकी अराजपत्रित (अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में -

1. अनुसूची-दो में, सरल क्रमांक-3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	सेवा/पद का नाम	कर्तव्य पदो की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों का प्रतिशत		
			सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6 (1) (क) देखिये]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6 (1) (ख) देखिये]	अन्य सेवा से व्यक्ति के स्थानान्तरण द्वारा [नियम 6 (1) (ग) देखिये]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	436	90%	10%	10% पदों को उन मालियों द्वारा भरा जायेगा, जिन्होंने 15 वर्षो की सेवा पूर्ण कर ली हो एवं जिनकी न्यूनतम योग्यता स्नातक हो तथा जिन्होंने राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के विभाग से 600 घंटे का प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया हो."

2. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक-2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पद के लिये पात्रता हेतु अनुभव की न्यूनतम कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	माली	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	15 वर्ष	संचालक द्वारा नामनिर्देशित - (1) संयुक्त संचालक उद्यान - अध्यक्ष (2) उप संचालक उद्यान - सदस्य (3) यदि उपरोक्त समिति में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है, तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से किसी एक सदस्य, जो द्वितीय श्रेणी अधिकारी से निम्न श्रेणी का न हो, को संचालक द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा-सदस्य."	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Naya Raipur, the 15th December 2017

NOTIFICATION

No. F 3-3/2017/14-1. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Horticulture Non Gazetted (Non Ministerial) Service Recruitment Rules, 2012, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules, -

1. In Schedule - II, for serial number-3 and entries relating thereto the following shall be substituted namely :-

S. N.	Name of the Service	Number of sanctioned posts	Percentage of number of the posts to be filled		By transfer of the other Service
			By Direct recruitment	By promotion	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3.	Rural Horticulture Extension Officer	436	90%	10%	10% posts shall be filled by those Gardeners who have completed 15 years of service and have minimum qualification as Graduate and have passed training of 600 hours from department of National Council For Vocational Training."

2. After serial number 2 and entries relating there to of Schedule - IV, the following shall be added namely :-

S. N.	Name of the Service/posts to which promotion to be made	Name of the Service/posts on which promotion to be made	Require experiences for the promotion	Name of the member of the departmental promotion committe (see rule 15)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3.	Gardner	Rural Horticulture Extension Officer	15 years	Nominated by Director 1. Joint Director Horticulture - Chairman 2. Deputy Director Horticulture - Member 3. if there is no member of Schedule Caste and Schedule Tribe in the above committee then any one member from Schedule Caste and Schedule Tribe who shall not below the rank of class-II officer shall be nominated by the Director - Member."	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. SHRIVASTAVA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.